न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस

निगरानी संख्या 16/2022

सुभाषचन्द्र पुत्र हरलाल जाति जाट, निवासी खेदड़ो की ढाणी तन टिटनवाड़, तहसील गुढागौड़जी, जिला झुन्झुनू। —निगरानीकार—

बनाम

1. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत टिटनवाड़, पंचायत समिति उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।
2. सरपंच ग्राम पंचायत टिटनवाड़, पंचायत समिति उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।
3. सुभाष पुत्र मूलाराम जाति जाट, निवासी खेदड़ो की ढाणी तन टिटनवाड़, तहसील गुढागौड़जी, जिला झुन्झुनू। —गैर निगरानीकारान—

निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश दिनांक 20.07.2022 ग्राम पंचायत टिटनवाड़।

उपस्थितिः—

1. श्री धीरज कुमार बोयल, एडवोकेट..... निगरानीकार की ओर से।
2. श्री विजय ओला, एडवोकेट.....गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 की ओर से।

—निर्णय— दिनांक : 29/8/2025

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि निगरानीकार ग्राम पंचायत टिटनवाड़ का रहने वाला है। ग्राम पंचायत टिटनवाड़ के समक्ष निगरानीकार ने अपनी आबादी भूमि का पट्टा बनवाने हेतु दिनांक 23.05.2022 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात अदालत को कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज कर निस्तारण करना चाहिये था। निगरानीकार ने अपने भाई ख्यालीराम व सरदार सिंह तथा पोकरमल का शपथ पत्र प्रस्तुत किया था जिन्होनें पट्टा बनाये जाने पर कोई आपत्ति नही की। दिनांक 09.06.2022 को यह इन्द्राज किया गया कि उक्त भूमि ग्राम पंचायत के राजस्व में दर्ज

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

Scanned with CamScanner

है। उक्त रिपोर्ट हल्का पटवारी ने की। आबादी भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत ही जारी करती है। दिनांक 20.07.2022 को आवेदन पत्र पर ही इस आशय का नोट लगाकर की भूमि शामलाती भूमि है, पट्टा निरस्त किया गया तथा विवादित भूमि का पट्टा जारी नही कर सकते। इस तथ्य का नोट आवेदन पत्र व मूल पत्रावली पर प्रस्तुत कर दिया जो कि गलत है। सुभाष पुत्र मूलाराम का सुभाषचन्द्र पुत्र हरलाल के भूखण्ड से कोई संबंध नही है तथा उक्त सुभाष पुत्र मुलाराम का मकान भी सटता हुआ नही है। अदालत मातहत ने दिनांक 20.07.2022 को उक्त पत्रावली को निरस्त करने में कानूनी गलती की है। अदालत मातहत को उक्त पत्रावली को कार्यवाही रजिस्टर में लेकर समुचित कार्यवाही करनी चाहिए था। सरसरी तौर पर अदालत मातहत निगरानीकार की पत्रावली निरस्त नही कर सकती। जहां आपति आती है वहां पत्रावली कार्यवाही रजिस्टर में लेकर आपत्तियों का निस्तारण करना पड़ता है। उक्त आपति के आधार पर पट्टा की पत्रावली निरस्त नही की जा सकती। अदालत मातहत ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्यवाही की है। पत्रावली नही लेना नही दर्ज करना या लोटा देना मनमाना आदेश है। उक्त आदेश राजनीति से प्रेरित है इसलिए काबिले तारीफ है। सुभाष पुत्र मूलाराम ने एक दावा सिविल न्यायाधीश उदयपुरवाटी के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है जिसमें दावा के साथ नजरी नक्शा प्रस्तुत किया था जिसमें सरदार सिंह की गुवाड़ी दिखा रखी है। सरदार सिंह व निगरानीकार सगे भाई है जिससे स्पष्ट दर्शित होता है कि निगरानीकार व सुभाष पुत्र मुलाराम के मध्य में पोकरमल का भूखण्ड है तथा चार दीवारी व पुख्ता मकान है। इस तथ्य पर अदालत मातहत ने गौर नही किया है। अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 20.07.2022 को निरस्त किया जावे तथा अदालत मातहत को निगरानीकार की पट्टा पत्रावली लेने व कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज कर आपत्तियों का निस्तारण तथ्यों के आधार पर कर समुचित निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया जावे।

निगरानी न्यायालय में प्रस्तुत होने पर गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 को नोटिस भेजकर तामील की गई। रिकार्ड ग्राम पंचायत टिटनवाड़ तलब किया जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी के तथ्यों हुए कथन किया कि निगरानीकार ग्राम पंचायत टिटनवाड़ का रहने वाला है। ग्राम पंचायत टिटनवाड़ के समक्ष निगरानीकार ने अपनी आबादी भूमि का पट्टा बनवाने हेतु दिनांक 23.05.2022 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात अदालत को कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज कर निस्तारण करना चाहिये था। निगरानीकार ने अपने भाई ख्यालीराम व सरदार सिंह तथा पोकरमल का शपथ पत्र प्रस्तुत किया था जिन्होनें

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

Scanned with CamScanner

पट्टा बनाये जाने पर कोई आपत्ति नही की। दिनांक 09.06.2022 को यह इन्द्राज किया गया कि उक्त भूमि ग्राम पंचायत के राजस्व में दर्ज है। उक्त रिपोर्ट हल्का पटवारी ने की। आबादी भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत ही जारी करती है। दिनांक 20.07.2022 को आवेदन पत्र पर ही इस आशय का नोट लगाकर की भूमि शामलाती भूमि है, पट्टा निरस्त किया गया तथा विवादित भूमि का पट्टा जारी नही कर सकते। इस तथ्य का नोट आवेदन पत्र व मूल पत्रावली पर प्रस्तुत कर दिया जो कि गलत है। सुभाष पुत्र मूलाराम का सुभाषचन्द्र पुत्र हरलाल के भूखण्ड से कोई संबंध नही है तथा उक्त सुभाष पुत्र मुलाराम का मकान भी सटता हुआ नही है। अदालत मातहत ने दिनांक 20.07.2022 को उक्त पत्रावली को निरस्त करने में कानूनी गलती की है। अदालत मातहत को उक्त पत्रावली को कार्यवाही रजिस्टर में लेकर समुचित कार्यवाही करनी चाहिए था। सरसरी तौर पर अदालत मातहत निगरानीकार की पत्रावली निरस्त नही कर सकती। जहां आपति आती है वहां पत्रावली कार्यवाही रजिस्टर में लेकर आपत्तियों का निस्तारण करना पड़ता है। उक्त आपति के आधार पर पट्टा की पत्रावली निरस्त नही की जा सकती। अदालत मातहत ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्यवाही की है। पत्रावली नही लेना नही दर्ज करना या लोटा देना मनमाना आदेश है। उक्त आदेश राजनीति से प्रेरित है इसलिए काबिले तारीफ है। सुभाष पुत्र मूलाराम ने एक दावा सिविल न्यायाधीश उदयपुरवाटी के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है जिसमें दावा के साथ नजरी नक्शा प्रस्तुत किया था जिसमें सरदार सिंह की गुवाड़ी दिखा रखी है। सरदार सिंह व निगरानीकार सगे भाई है जिससे स्पष्ट दर्शित होता है कि निगरानीकार व सुभाष पुत्र मुलाराम के मध्य में पोकरमल का भूखण्ड है तथा चार दीवारी व पुख्ता मकान है। इस तथ्य पर अदालत मातहत ने गौर नही किया है। पंचायत ने पट्टा आवेदन खारिज कर दिया जिसका कोई कारण निगरानीकार को नही बताया गया। अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 20.07.2022 को निरस्त किया जावे तथा अदालत मातहत को निगरानीकार की पट्टा पत्रावली लेने व कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज कर आपत्तियों का निस्तारण तथ्यों के आधार पर कर समुचित निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया जावे।

बहस के दौरान अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 ने कथन किया कि ग्राम पंचायत ने पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए विधि सम्मत कार्यवाही की है। ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही रजिस्टर के प्रस्ताव संख्या 2 व 3 में आवेदन निरस्त करने के संबंध में स्पष्ट टिप्पणी की गई है, जो कि नियमानुसार तथा विधिसम्मत है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

Scanned with CamScanner

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। निगरानीकार का प्रकरण में अहम तर्क यह रहा है कि उसके द्वारा ग्राम पंचायत टीटनवाड़ में आवेदन करने पर उसके आवेदन पर गैर निगरानीकार संख्या 3 ने आपत्ति दर्ज की परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इसकी जांच किये बगैर निगरानीकार की पट्टा पत्रावली पर कोई कार्यवाही करने में सक्षम नहीं होना अंकित कर दिया। हम निगरानीकार के तर्को से सहमत है किसी प्रकरण का निस्तारण उसकी जांच के बाद किया जाना न्यायोचित होता है।

अतः निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत टिटनवाड़ के आदेश दिनांक 20.07.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि ग्राम पंचायत टीटनवाड़ प्रकरण पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुये साक्ष्य सबूत के आधार पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित करें। रिकार्ड ग्राम पंचायत टिटनवाड़ फैसले की प्रति सहित आगामी कार्यवाही हेतु ग्राम पंचायत टिटनवाड़ को भिजवाई जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29-8-2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय कुमार आर्या),
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू।

Scanned with CamScanner